मद सं० -2

प्रेस नोट

विषय : पंजीकरण से पूर्व खतौनी एवं अन्य स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों के अवलोकन व परीक्षण करने के बाद ही पंजीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

1. वर्तमान समय में सम्पत्ति के स्वामी से विरत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का विक्रय, निषेधित/प्रतिबन्धित सम्पत्ति का विक्रय, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार/स्वामित्व से अधिक सम्पत्ति का विक्रय, किसी संपत्ति के विधिक स्वामी द्वारा कुर्क सम्पत्ति का विक्रय, केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के विक्रय विलेख का पंजीकरण करा लिया जाता है जिससे विभिन्न विवाद निरंतर संज्ञान में आते रहते हैं, जिसके कारण जनसामान्य को मुक़दमेबाजी एवं अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे शासन एवं विभाग की छवि भी धूमिल होती है।
2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत किसी भी विलेख के पंजीकरण से इन्कार के सम्बन्ध में उप निबन्धक को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-35 के अन्तर्गत अत्यन्त सीमित अधिकार प्राप्त हैं।
3. अन्य प्रदेशों में उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियमावली में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से उक्त समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भी कतिपय राज्यों में किये गए संशोधनों एवं प्रयासों की तरह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियमावली में संशोधन किये जाये।
4. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम में धारा-22 व 35 के उपरांत धारा-22-A, 22-B एवं 35-A जोड़ा जा रहा है। उक्त धारा-22-A विनिर्दिष्ट श्रेणियों के दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए प्रतिबंधित करेगी, 22-B द्वारा पंजीकरण से पहले अचल संपत्ति की पहचान के उपबन्ध किये गये है तथा 35-A(1) में धारा-17(1) के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्ति के लिए प्रस्तुत लिखतों के साथ स्वामित्व, अधिकार, पहचान, विधिपूर्ण कब्जे अथवा अंतरण सम्बंधी अन्य अधिकारों से सम्बंधित ऐसे दस्तावेज जोकि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जाए, संलग्न नहीं हैं, तो पंजीकरण अधिकारी उन्हें पंजीकृत करने से इनकार (Refuse) कर देगा।
5. इस प्रस्ताव को लागू किये जाने से जनसामान्य को अनावश्यक वादों (Court Cases) एवं अन्य असुविधाओं से राहत मिलेगी।
6. प्रस्तावित संशोधन भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की तृतीय सूची (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि-6 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. प्रस्तावित संशोधन से संबंधित विधेयक पर मा० मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त विधान मण्डल की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(अमित गुप्ता)
प्रमुख सचिव
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

मद संख्या.....4.....

प्रेस नोट

विषय- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के संबंध में।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ना तथा ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी एवं सुरक्षित पहुँच प्रदान करना तथा निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से ग्रामीण मार्गों पर सेवा प्रदान करना।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को, जिस ब्लॉक हेतु उसने आवेदन किया है, के समस्त ग्राम पंचायत/रूट पर अपने विवेकानुसार वाहन संचालन करने तथा फेरों की संख्या, रूट का निर्धारण करने का अधिकार होगा। ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कम से कम दो बार वाहन की सेवा प्रदान करेगा। ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक के शार्टेस्ट रुट उक्त वाहन का मार्ग होगा। ग्राम पंचायत से ब्लाक तक जाने में मार्ग पर उक्त ब्लॉक में पड़ने वाले समस्त ग्राम पंचायत उक्त सेवा से आच्छादित होगी। सेवा ग्राम पंचायत से ब्लॉक-तहसील-जिला मुख्यालय तक जा सकती है। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन की स्क्रीनिंग हेतु 15 दिवस, आवेदक के सफल चयन के बाद वाहन उपलब्ध कराने हेतु 15 दिवस तथा निर्धारित प्रक्रिया को 45 दिवस में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सफल आवेदन का चयन सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, समिति के सदस्य सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सदस्य सचिव रहेगें। उक्त कमेटी द्वारा सेवा प्रदाताओं का चयन करते हुए रूट्स का भी अंतिमीकरण किया जायेगा।

उक्त योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों का होगा तथा नियमित रूप से (न्यूनतम मासिक) मण्डलायुक्त को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा परमिट की अनिवार्यता से छूट (मुक्त) प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रेस-नोट

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी **2.0** के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) और किफायती किराया आवास (ए0आर0एच0) घटकों के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश (नीति) जारी किए जाने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश (नीति) 2026 और किफायती किराया आवास घटक के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश (नीति) 2026 जारी किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत मध्यम से दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0 1.50 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0 1.0 लाख देय होगा। इससे मध्यम एवं दुर्बल आय वर्ग के लाभार्थियों को सस्ती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

योजनान्तर्गत वाईटलिस्टेड परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं को इन्सेन्टिव के रूप में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र स्वीकृति, वाह्य विकास शुल्क एवं लाभार्थियों को स्टाम्प शुल्क में छूट अनुमन्य किया गया है।

ए0आर0एच0 मॉडल-2 के अन्तर्गत शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदा, संस्थानों के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान किया गया है।

मद संख्या 7

प्रेस-नोट

विषयः-मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ को धनराशि स्वीकृत करने एवं व्यय के प्रस्ताव के संबंध में।

नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु शासनादेश दिनांक 06.04.2023 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाने का प्राविधान है।

नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रू0 3000.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 करोड़ के सापेक्ष संबंधित अभिकरणों यथा-बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ हेतु सीड कैपिटल के रूप में कुल धनराशि रू0 425.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

मद संख्या - 8

प्रेस-नोट

विषय : जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजनान्तर्गत स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु नजूल भूमि गाटा संख्या-1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 मि0 एवं 1035 कुल 07 किता क्षेत्रफल-2500 वर्गमी0 स्थित चक नं0-4 मोहल्ला वशिष्ठ कुण्ड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या को नगर निगम, अयोध्या के पक्ष में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

1. जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या के पत्र दिनांक 10.09.2025 में किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजनान्तर्गत स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु नजूल भूमि गाटा संख्या-1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 मि0 एवं 1035 कुल 07 किता क्षेत्रफल-2500 वर्गमी0 स्थित चक नं0-4 मोहल्ला वशिष्ठ कुण्ड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या को नगर निगम, अयोध्या के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2. उक्त भूमि नगर निगम अयोध्या को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. अतः जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजनान्तर्गत स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को नगर निगम, अयोध्या के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है।
4. यह हस्तान्तरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जायेगा।

मद संख्या...9.....

प्रेस-नोट

विषय- एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) 2026 के सम्बन्ध में।

ओ0टी0एस0 योजना सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी।

मानचित्र डिफाल्टर के प्रकरणों पर भी ओ0टी0एस0 योजना लागू होगी।

ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज लिया जायेगा। आवंटियों से किसी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा।

अभिकरणों की संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाया धनराशि की वसूली हो सकेगी।

ओ0टी0एस0 योजना हेतु आवेदन करने के लिए 03 माह तथा उसके पश्चात आवेदनों का निस्तारण 03 माह में किया जायेगा।

.....

मद संख्या- 10

प्रेस नोट

विषयः अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत एक्सप्रेसवे के सन्निकट जनपद- मेरठ में इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (IMLC) की स्थापना हेतु अवस्थापना विकास के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

यूपीडा द्वारा विकसित किये गये एक्सप्रेस-वे यथा-आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे एवं विकासशील एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे 29 स्थलों पर इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आई.एम.एल.सी) की स्थापना व विकास किया जा रहा है।

इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आई.एम.एल.सी) के मेरठ नोड में सडक, आर०सी०सी०, नालियों, आर०सी०सी० कल्वर्ट, फायर स्टेशन, अवर जलाशय, वाटर सप्लाई लाइन, फैन्सिंग, इलेक्ट्रीसिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट जनपद मेरठ में आई०एम०एल०सी० के निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर किये जाने हेतु व्यय-वित्त समिति द्वारा पूंजीगत मदों के लिए मूल्यांकित लागत रू0 21381.93 लाख की धनराशि पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

मद संख्या- 11

प्रेस नोट

विषयः जनपद कानपुर में ट्रान्सगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु, पहुँचमार्ग का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत जनपद कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु, पहुँचमार्ग के निर्माण कार्य को कराया जाना प्रस्तावित है। यह एक उच्च स्तरीय सेतु होगा जो ट्रान्सगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ेगा। प्रस्तावित स्थल पर यूपीसीडा द्वारा कानपुर नगर एवं आस-पास के औद्योगिक इकाईयों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु ट्रांसगंगा सिटी विकसित किया जा रहा है।

ट्रांसगंगा सिटी के विकसित होने के पश्चात गंगा नदी पार करने हेतु भारी एवं हल्के वाहनों के आवागमन हेतु यातायात का अत्यधिक दबाव रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान गंगा बैराज मार्ग पर अत्यधिक जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। उक्त के दृष्टिगत गंगा नदी पर चार लेन सेतु के निर्माण की आवश्यकता है। चार लेन सेतु कानपुर शहर में एक जगह मर्ज करने से मर्जिंग प्वाइंट पर आवागमन का अत्याधिक घनत्व हो जायेगा, जिससे आवागमन बाधित हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में चार लेन सेतु के स्थान पर दो-दो लेन के दो अलग-अलग सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित धनराशि रूपये 75313.24 लाख के सापेक्ष अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत यूपीसीडा द्वारा वांछित धनराशि रूपये 46000.00 लाख है, जबकि शेष अनुमोदित धनराशि प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किये जाने के दृष्टिगत धनराशि रूपये 46000.00 लाख पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

मद संख्या ..12.....

प्रेस - नोट

विषयः फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई.), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फार्च्यून इण्डिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15.05.2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुति/निर्णय पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

'मेसर्स टीआई मेडिकल्स प्रा0लि0' द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एमडीपी क्षेत्र में 4.48 हेक्टेयर (44800 वर्गमीटर) भूमि पर ₹215.20 करोड़ के निवेश से चिकित्सा उपकरण विनिर्माण सुविधा स्थापित करने हेतु 'फॉर्च्यून इंडिया श्रेणी' के अंतर्गत फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी के संबंध में आवेदन किया गया। उत्तर प्रदेश एफ0डी0आई0, एफ0सी0आई0, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत फॉर्च्यून इंडिया-500 श्रेणी में नोडल संस्था की संस्तुति पर प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

2- मेसर्स टीआई मेडिकल्स प्रा0लि0' द्वारा पत्र संख्या: 1660/77-6-2024-6099/238/2023 दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश एफ0डी0आई0, एफ0सी0आई0, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा चुका है।

3- मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर में भूमि आवंटित की गई है। भारत सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सब्सिडाइज्ड दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

4- इम्पावर्ड कमेटी द्वारा यह मत अवधारित किया गया कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई नीति 2023 के अंतर्गत अनुमन्य सब्सिडी की 75 प्रतिशत दर की धनराशि की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि भारत सरकार की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी की धनराशि घटा दी जाएगी। चूंकि एफडीआई नीति के अतंर्गत अनुमन्य सब्सिडी की धनराशि रू. 41,52,24,000.00 में से रू.

26,74,56,000.00 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अतः अंतर की धनराशि रू. 14,77,68,000.00 यीडा को प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

6- 'मेसर्स टीआई मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड' को यीडा द्वारा आवंटित भूमि रकबा 44,000 वर्गमीटर कुल प्रीमियम मूल्य रू. 55,36,32,000.00 के सापेक्ष अनुमन्य सब्सिडी की धनराशि रू. 41,52,24,000.00 मे से मेडिकल डिवाइस पार्क के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी की धनराशि रू. 26,74,56,000.00 को घटाते हुए धनराशि रू. 14,77,68,000.00 की प्रतिपूर्ति यीडा को किये जाने के बिन्दु पर मा0 मंत्रिपरिषद अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

.....

मद संख्या.....14.....

प्रेस नोट

विषय- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-21 एवं नियम-24 में संशोधन किया जाना।

- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियमावली के नियम-21 में एक कैलेन्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किये जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था लायी जा रही है।
- इसी प्रकार नियम-24 में 01 माह के मूल वेतन के स्थान पर 02 माह से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने के अलावा प्रत्येक 05 वर्ष ब्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 01 वर्ष की अवधि ब्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति घोषित करने की व्यवस्था लायी जा रही है।

प्रेस-नोट

विषय:-उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन के सम्बन्ध में।

- मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवॉ संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव है।

- प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के भर्ती का स्त्रोत संबंधी नियम 5, कोटा संबंधी नियम 6, चयन प्रक्रिया संबंधी नियम 18 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख), न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति संबंधी नियम 20, नियुक्ति संबंधी नियम 22 के उप-नियम (2) एवं परिशिष्ट-'1' को संशोधित/प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से, मानक दिव्यांगजन के लिये आरक्षण के नियम के अध्यधीन कोटा 65 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत निर्धारित किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस संवर्ग में अन्यून तीन वर्ष की निरन्तर सेवा रखने वाले और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अन्यून सात वर्ष की सेवा रखने वाले में से, मानक दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के नियम के अध्यधीन कोटा 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत निर्धारित किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अधिवक्ता (बार) से सीधी भर्ती हेतु कोटा पूर्व की भांति 25 प्रतिशत रहेगा।

मद संख्या 18

प्रेस नोट

विषयः- बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना तथा जनपद झांसी में पूर्व से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट की क्षमता का विस्तारीकरण 30 हजार लीटर प्रतिदिन तक किये जाने हेतु सिविल एवं मैकेनिकल कार्यों के लिए टर्न-की आधार पर नामित कार्यदायी संस्था मैसर्स इंडियन डेयरी मशीनरी कम्पनी लिमिटेड,गुजरात (मै०आई०डी० एम०सी०लि०) को सेंटेज चार्ज अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है । प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ रही है, अतएव दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का बाजार आधारित लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी साथ ही यह प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लान्ट की स्थापना तथा झांसी में पूर्व से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लान्ट की क्षमता का विस्तारीकरण 30 हजार लीटर प्रतिदिन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु सिविल एवं मैकेनिकल कार्यों के लिए टर्न-की आधार पर मै०आई०डी० एम०सी०लि० को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.12.2024 को सम्पन्न हुयी । उक्त बैठक में परियोजना आगणन में सिविल निर्माण कार्यों की लागत पर 05 प्रतिशत कमी के उपरान्त प्रस्तावित किये गए 12.50 प्रतिशत सेंटज चार्ज को इस आधार पर अनुमन्य नहीं किया गया कि वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित सेंटेज केवल राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को अनुमन्य है ।

प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मै० इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटिड को सेंटेज चार्ज अनुमन्य नहीं किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में कानपुर नगर,कन्नौज,फिरोजाबाद,लखनऊ, मुरादाबाद,गोरखपुर,मेरठ,फैजाबाद,बरेली एवं वाराणसी में मल्टी प्रोडक्ट डेयरी फूड प्रोजेक्ट की स्थापना तथा इलाहाबाद,झाँसी,अलीगढ़ एवं पराग डेयरी नोएडा के डेयरी प्लान्ट के सुदृढीकरण की परियोजनाओं में मै० आई०डी०एम०सी०लि० को मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त सेंटेज चार्ज प्रदान किया गया है ।

अतः बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट की स्थापना तथा जनपद झांसी में पूर्व से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लाण्ट की क्षमता का 30 हजार लीटर प्रतिदिन तक विस्तारीकरण किये जाने की परियोजनाओं हेतु सिविल एवं मैकेनिकल कार्यों के लिए टर्न-की आधार पर नामित कार्यदायी संस्था मैसर्स इन्डियन डेयरी मशीनरी कम्पनी लिमिटेड (मै०आई०डी०एम०सी०लि०) को नियमानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य किया जाना एवं मैसर्स इन्डियन डेयरी मशीनरी कम्पनी लिमिटेड (मै०आई०डी०एम०सी०लि०) को नियमानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्ययभार राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जाना प्रस्तवित है ।

उपर्युक्त डेयरी प्लांट्स की स्थापना से बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण में वृद्धि होगी, दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध के क्षरण में कमी होगी तथा उनके दुग्ध का अनुकूलतम एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनके आर्थिक हितों की रक्षा होगी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा ।

मद सं0- 19

प्रेस नोट

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के कतिपय शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को स्वास्थ एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस सुविधा की अनुमन्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रेस नोट

विषय-प्रदेश में मुख्य खनिजों की ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु एमएसटीसी लिमिटेड को नीलामी प्लेटफार्म प्रदाता नामित किया जाना तथा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को ट्रान्जेक्शन एडवाइजर नामित किया जाना।

- खनिज (नीलामी) नियमावली-2015 में यह प्राविधान है कि मुख्य खनिजों की नीलामी ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से की जायेगी।
- राज्य सरकार ऐसे किसी ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगी, जो मानकीकरण जाँच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-उपापन पद्धतियों (e-procurement systems) की गुणवत्ता सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुपालन सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा- विर्निदिष्ट न्यूनतम् तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करता है ।
- उत्तर प्रदेश में 05 चरणों की एन०आई०टी०/ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है, जिसमें 06 ब्लाक कम्पोजिट लाइसेन्स (CL) पर एवं 03 ब्लाक खनन पट्टा (ML) लाइसेंस पर सफलतापूर्वक आक्शन हुए हैं।
- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि० द्वारा 16 प्रदेशों तथा भारत सरकार के खान मंत्रालय में ट्रान्जेक्शन एडवाइजर के रूप में कार्य किया जा रहा है। एमएसटीसी लि० द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार सहित 07 राज्यों में ऑक्शन प्लेटफार्म प्रोवाइडर के रूप में कार्यवाही की जा रही है।
- पूर्व निष्पादित अनुबन्ध की समाप्ति तिथि दिनांक 09.02.2026 के उपरान्त दिनांक 10.02.2026 से प्रदेश में मुख्य खनिजों के ब्लाकों की ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रियात्मक कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि० को ट्रान्जेक्शन एडवाइजर के रूप में 01 वर्ष के लिये तथा ऑक्शन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु एमएसटीसी लि० को पुन: नामित किया जा रहा है।
- इससे मुख्य खनिजों के ब्लाकों की ई-नीलामी पारदर्शी ढंग से सम्पन्न होती रहेगी, राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों हेतु खनिज उपलब्ध होंगे और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

प्रेस नोट

विषय :- उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम दिये जाने के सम्बन्ध में निष्पादित अनुज्ञा-अनुबन्ध में शुल्क-निर्धारण से सम्बन्धित संशोधन किया जाना।

उ0प्र0 क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम, कानपुर के आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल, 2015 में निर्धारित शर्तों एवं अनुज्ञा-अनुबंध में कतिपय आयोजन यथा प्रतिभा-खोज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित उ0प्र0 टी-20 लीग तथा द्वितीय श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच उदाहरणार्थ भारत 'ए' बनाम ऑस्ट्रेलिया 'ए' जैसे मैच) के संबंध में शुल्क निर्धारित नहीं है। अतः उक्त आयोजन को व्यवहार्य एवं आकर्षक बनाए रखते हुए राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि:-

(1) अनुज्ञा-अनुबंध में अन्य आयोजनों के लिए निर्धारित रू. 25.00 लाख के शुल्क के सापेक्ष 90 प्रतिशत की छूट उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को प्रदान करते हुए, प्रतिभा-खोज कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित उ0प्र0 टी-20 लीग के लिए रू. 2.50 लाख प्रति मैच प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

(2) द्वितीय श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (उदाहरणार्थ- भारत 'ए' बनाम ऑस्ट्रेलिया 'ए' जैसे मैच) के लिए रू. 05.00 लाख प्रति मैच प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त निर्धारित शुल्कों पर अनुज्ञा-अनुबंध में अन्य आयोजनों के लिये विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(4) खेल प्रतिभा खोज तथा खेल प्रोत्साहन के लिए उक्त प्रकृति की छूट का प्राविधान तथा शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा खेल हित में किया जा रहा है। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर अथवा सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त छूट/शुल्क निर्धारण पर एकपक्षीय रूप से पुनर्विचार कर सकेगी।

(5) प्रस्ताव से राज्य सरकार पर कोई व्यय-भार नहीं आना है।

(6) राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।

(7) प्रदेश के खिलाडियों के लिये उ0प्र0 टी-20 मैच तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने से खेल एवं खिलाडियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(8) प्रश्नगत शुल्क निर्धारण स्पष्ट एवं पारदर्शी होने से आयोजन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय जन सामान्य के लिये अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मद संख्या-25

प्रेस नोट

विषयः 1. उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून/ टिहरी गढ़वाल जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की सलाहकार समिति की 141वीं बैठक दिनांक 11.02.2019 के द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू0 5747.17 करोड़ (प्राइस लेवल 2018) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य का शेयर धनराशि रु० 356.07 करोड़ व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जनपद में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुकाजी बांध परियोजना की लागत रु० 6946.99 करोड़ (प्राइस लेवल 2018) (जल घटक की लागत रु० 6647.46 करोड़) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य का शेयर धनराशि रु० 361.04 करोड़ व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन ।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

- मा० मंत्रिपरिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के देहरादून/टिहरी गढ़वाल जिलों में लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊँचा बांध, 300 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले एक भूमिगत बिजलीघर और एक बैराज सहित एक संतुलय जलाशय (Balancing Reservoir) के निर्माण की लखवार बहुउद्देशीय परियोजना हेतु लाभार्थी राज्यों के द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू० 1146.69 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपने जल उपभोग शेयर 31.05 प्रतिशत के आधार पर वहन किये जाने वाले रू० 356.07 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- इस परियोजना से 33780 हेक्टेयर क्षेत्र में लाभार्थी राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड) को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जायेगा तथा परियोजना से घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 78.83 MCM जल और 300 मेगावाट/572.54 मिलियन यूनिट का आकस्मिक विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। **इस परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।** यह परियोजना दिसम्बर, 2031 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

रेणुकाजी बांध परियोजना

- मा० मंत्रिपरिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जनपद में गिरी नदी पर 148 मी० ऊँचा व 430 मी० लम्बा बांध, जल संचयन क्षमता 498.00 एम०सी०एम०, लाइव संचयन क्षमता 330.00 एम०सी०एम० तथा विद्युत उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट की निर्माणाधीन रेणुकाजी बांध परियोजना हेतु लाभार्थी राज्यों के द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू० 1162.66 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपने जल उपभोग शेयर 31.05 प्रतिशत के आधार पर वहन किये जाने वाले रू० 361.04 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- इस परियोजना द्वारा संचायित जल का उपभोग सिंचाई हेतु लाभार्थी राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड) द्वारा किया जायेगा तथा दिल्ली राज्य को 23 क्रमेक (09 महीने- सितम्बर से जून तक) पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। **इस परियोजना को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।** परियोजना दिसम्बर, 2032 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना एवं रेणुकाजी बांध परियोजना पूर्ण होने से उत्तर प्रदेश को निर्धारित 3.721 BCM (31.05%) जल प्राप्त होगा, जिससे पूर्वी यमुना नहर प्रणाली एवं आगरा नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा यमुना नदी की तनुता में वृद्धि हो सकेगी।

प्रेस नोट

विषयः- उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 21 में संशोधन करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 21 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

संशोधन के अंतर्गत धारा 21 से "कुष्ठ रोग" संबंधी प्रावधान हटाए जा रहे हैं तथा प्रावधानों को मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 के अनुरूप किया गया है।

इस निर्णय से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव की समाप्ति तथा उनके गरिमामय जीवन के अधिकार की सुनिश्चितता होगी।

प्रस्तावित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा।

मद संख्या - 20

प्रेस-नोट

विषय : जनपद अयोध्या में नजूल भूमि गाटा संख्या-33मि0, 34मि0, 35मि0, 36मि0 क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर, चक बाग बिजेसी स्थित मोहल्ला बाग बिजेसी, अयोध्या पर उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के अयोध्या सेक्टर कार्यालय स्थापना हेतु उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पक्ष में भूमि के आवंटन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

1. अपर निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.10.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा जनपद अयोध्या में नजूल भूमि गाटा संख्या-33 मि0, 34मि0, 35मि0, 36मि0 क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर, चक बाग बिजेसी स्थित मोहल्ला बाग बिजेसी, अयोध्या पर उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के अयोध्या सेक्टर कार्यालय स्थापना हेतु उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (अयोध्या सेक्टर कार्यालय) के पक्ष में भूमि के आवंटन/हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
2. उक्त भूमि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान (अयोध्या सेक्टर कार्यालय) को सशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. अतः जनपद अयोध्या में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का अयोध्या सेक्टर कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु सतर्कता विभाग को चिन्हित भूमि प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है।
4. यह हस्तान्तरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जायेगा।

प्रेस-नोट

विषय:- सिखों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु "उत्तर प्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026" प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

सिखों में प्रचलित आनन्द विवाह, जिसे आम तौर पर आनन्द कारज कहा जाता है, के रजिस्ट्रीकरण को सुगम बनाने हेतु आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 यथासंशोधित, 2012 की धारा-6 में राज्य सरकारों को नियम बनाने हेतु सशक्त किया गया है। रिट याचिका (सिविल) संख्या-911/2022 अमनजोत सिंह चड्ढा बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 सितम्बर, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में भी नियमावली अधिसूचित किया जाना है।

उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2026 प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रख्यापित की जाने वाली नियमावली में आनन्द विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं प्रदेश मुख्यालय पर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ को क्रमशः रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, मण्डलीय रजिस्ट्रार तथा मुख्य रजिस्ट्रार अधिसूचित किया गया है।

आनन्द विवाह से सम्बन्धित पक्षकार/रिश्तेदार विवाह सम्पन्न होने की तिथि के तीन माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में न्यायालय शुल्क स्टाम्प के रूप में रू0 1500/- (रू0 एक हजार पॉच सौ मात्र) की शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात आनन्द विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु दिये जाने वाले ज्ञापनों के आधार पर विवाह रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया एवं विलम्ब शुल्क का प्रावधान किया गया है।

असंतुष्ट पक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध जिला रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध मण्डलीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील की जा सकेगी। आनन्द विवाह रजिस्टर के रख-रखाव एवं उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने के प्रावधान भी किए गये हैं।